आखिरी जांच: 6 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Disabled Welfare Department

Mukhyamantri Divyang Shiksha Protsahan Yojana

मध्य प्रदेश सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय और पॉलीटेक्निक में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की मदद सहायक उपकरणों से करता है, ताकि वे आसानी से संस्थान पहुंच सकें और पढ़ाई कर सकें।

क्या मिल सकता है

दिव्यांग विद्यार्थियों को संस्थान तक पहुंचने और पढ़ने में मदद के लिए विभाग चलने-फिरने और पढ़ाई के उपकरण देता है, और विभाग के अभिलेखों में लैपटॉप तथा मोटरचालित ट्रायसाइकिल का जिक्र है। दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए सहायक उपकरण दिए जाते हैं। योजना के पेज पर वर्ष 2026-27 का ऑनलाइन क्रियान्वयन निर्देश, 22 जून 2026 की तारीख के साथ, दिखाया गया है।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग विद्यार्थी, जो सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक में नियमित पढ़ रहे हैं।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक (कम से कम दो वर्ष का डिप्लोमा) में नियमित विद्यार्थी हो।
- अस्थिबाधित विद्यार्थी के पिछली परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक होने चाहिए, और अन्य श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- दिव्यांगता इन प्रकार की होनी चाहिए: अस्थिबाधित (दोनों पैरों से चल न सकना), 40 प्रतिशत से अधिक दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित, या चिकित्सक के प्रमाणित मंदबुद्धि।
- विद्यार्थी का नाम स्पर्श अभियान के पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://socialjustice.mp.gov.in/schemes/view/TEhsS2FOQjllZGlldHl5clAwZ2FzZz09
आधिकारिक आवेदन: https://socialsecurity.mp.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-divyang-shiksha-protsahan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।